



RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION

D Block, Swasthya Bhawan, Tilak marg, C-scheme JAIPUR

Ph: 0141-2228066, Fax: 0141-2228065, email: rmsc.mnjy@gmail.com www.rmsc.nic.in


क्रमांक : 1070

दिनांक : 04/04/2013

संशोधित प्रशिक्षण आदेश


“मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना” के अर्न्तगत प्रशिक्षण संबंधी जारी संदर्भित पत्र क्रमांक spl.1. दिनांक 02.04.2013 के संबंध में निर्देश है कि उक्त प्रशिक्षण केवल नव-नियुक्त (Newly recruited) प्रभारी/कार्मिक को ही दिया जावे।

अतः सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उक्त संशोधित आदेशों की पालना कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाएं।


प्रबंध निदेशक
आर.एम.एस.सी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान सरकार।
6. मिशन निदेशक, एनआरएचएम।
7. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज सम्बद्ध चिकित्सालय।
8. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज सम्बद्ध चिकित्सालय।
9. निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज. को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार आपके अधीन कार्यरत नव नियुक्त रेडियोग्राफर, लैबटेक्नियन एवं ई सी जी टेक्नियन आदि को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निर्देशित करें।
13. आदेश पत्रावली।


प्रबंध निदेशक
आर.एम.एस.सी